तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज नन्दलाल व्यास बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 33/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.03.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नन्दलाल व्यास पता बसन्त विहार, तीसरी ए रोड़, सरदारपुरा जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.12.18 में उसके द्वारा (1) मैने मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान सरकार एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जोधपुर को अवगत कराया गया कि दिनांक 23.11.2018 को चर्चा चल रही थी कि कल सी.एम. वसुन्धरा राजे औसियां आयेगी इसलिए प्रत्येक मोटर साईकिल पर बी.जे.पी. की झंडी लगाकर औसियां जाने हेतु प्रत्येक मोटर साईकल को 500 रूपये से लेकर 10 लीटर तक का पेट्रोल डलवाने के लिए श्री भेराराम सियोल पेट्रोल पम्प के नाम से पर्चिया दी जा रही थी, उक्त शिकायत पर एक जांच जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा की गई थी, उस सपूर्ण जांच रिपोर्ट की प्रति एवं संबंधित जांच पत्रावली की सम्पूर्ण प्रति व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नंहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	